"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अप्रैल 2014—चैत्र 28, शक 1936

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2014

क्रमांक ई-1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन द्वारा श्री टी.[redacted]णन, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1978), अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 9 के तहत संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के मुख्य सचिव वेतनमान के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित नया रायपुर ...

2. राज्य शासन द्वारा श्री दिनेश श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (सी.जी. : 1992), सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

यह आदेश दिनांक 1-04-2014 से प्रभावशील रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012.—हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) की धारा 36 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम समस्त संस्थाओं एवं क्षेत्रों, जिसके लिये राज्य शासन समुचित शासन है, में प्रवृत्त और प्रभावशील होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013);

(ख) **"जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति"** से अभिप्रेत है जिले में हाथ से मैला ढोले वाले कर्मियों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया का संचालन तथा निरीक्षण करने हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति। समिति की संरचना और कृत्य परिशिष्ट-एक के अनुसार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी;

(ग) **"निरीक्षक"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन द्वारा "निरीक्षक" के रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(घ) **"गणक"** से अभिप्रेत है स्थानीय प्राधिकार द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण अथवा सत्यापन के प्रयोजन हेतु संलग्न कोई व्यक्ति;

(ङ) **"राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति"** से अभिप्रेत है जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति के माध्यम से राज्य में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के सर्वेक्षण की योजना, समन्वयन और निगरानी (मॉनिटरिंग) हेतु राज्य शासन द्वारा गठित समिति। समिति की संरचना और कृत्य राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जायेगी;

(च) **"पर्यवेक्षक"** से अभिप्रेत है गणक के द्वारा किये गये सर्वेक्षण के कार्य के पर्यवेक्षण करने एवं गणक के द्वारा किये गये सत्यापन को और सत्यापित करने हेतु स्थानीय प्राधिकार द्वारा संलग्न अधिकारी।

(2) सभी अन्य शब्द और अभिव्यक्तियां जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में परिभाषित हैं।

3. **मल–जल निकास (सीवर) तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों के प्रति नियोक्ता के दायित्व.–** (1) मल–जल निकास (सीवर) तथा सेप्टिक टैंक की जोखिमपूर्ण तरीके से सफाई के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, मल–जल निकास (सीवर) तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्य में नियुक्त है तो उसे, उसके नियोक्ता के द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा सामग्री एवं सुरक्षा संबंधी उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा:–

(एक)	सुरक्षा वस्त्र/सुरक्षा बेल्ट
(दो)	चेहरे का सामान्य नकाब
(तीन)	सुरक्षा टार्च
(चार)	दस्ताने
(पांच)	सुरक्षा चश्मा
(छः)	सुरक्षा हेलमेट
(सात)	आपातकालीन चिकित्सकीय जीवनरक्षक आक्सीजन किट
(आठ)	गैस मानीटर (4 गैस)
(नौ)	हेड लैम्प
(दस)	रिफलेक्टिंग जैकेट
(ग्यारह)	गाइड पाइप सेट
(बारह)	सुरक्षा ट्राइपॉड सेट
(तेरह)	वेडर सूट
(चौदह)	श्वसन उपकरण
(पंद्रह)	क्लोरीन नकाब
(सोलह)	धौंकनी हेतु वायु संपीडक (एयर कंप्रेसर फार ब्लोअर)
(सत्रह)	माड्युलर एयर लाईन सप्लाई ट्रॉली सिस्टम
(अट्ठारह)	पूरे चेहरे हेतु नकाब
(उन्नीस)	सुरक्षा हेतु रबड़ के जूते
(बीस)	बरसाती (रेनकोट)

(3) स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि मल–जल निकास (सीवर) तथा सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु, नवीनतम आधुनिक सुरक्षा उपकरणों और तकनीकी का उपयोग किया जाये।

(4) नियोक्ता कर्मचारी को मल–जल निकास (सीवर) तथा सेप्टिक टैंक की सफाई के कार्य में लगाने के पूर्व निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां भी सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:–

(क) वहां पूरे समय न्यूनतम दो कर्मचारी उपस्थित रहेंगे जिसमें से एक पर्यवेक्षक होगा;

(ख) सीमित स्थान के भीतर वातावरण में आक्सीजन की कमी और विषाक्त तथा दहनशील गैस का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जायेगा;

(ग) सीवर की सफाई के दौरान पूरे समय, कम से कम एक प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी उपस्थित रहेगा;

(घ) सफाई का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पर्यवेक्षक निरीक्षण करेगा और निर्धारित करेगा कि क्या सीवर के किसी उद्योग से होकर गुजरने से खतरनाक वातावरण प्रत्याशित (निर्मित) हो रहा है जिसका सामना करना पड़ सकता है;

(ड.) मैनहोल की धातु की सीढ़ी और बाजू की दीवारो की स्थिति का परीक्षण किया जायेगा कि क्या उनके टूट कर गिरने का कोई खतरा है;

(च) सीवर मैनहोल में या उसके पास धूम्रपान या आग की लपटों की अनुमति नहीं होगी;

(छ) पूरे समय यातायात और पैदल यात्री अवरोधक उपलब्ध कराना होगा;

(ज) निर्धारित स्थान से कम से कम 50 फीट आगे एक व्यक्ति झण्डा लेकर खड़ा होगा और जो आने वाले यातायात के लिए कम से कम 500 फीट से दृश्यमान होगा।

4. **अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण करने की रीति तथा उसकी सूची का प्रकाशन.**– (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार, अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो माह की अवधि के अंदर, अपने क्षेत्र में अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करेगा और उसकी सूची प्रकाशित करेगा जिसके लिए एक समय सूची तैयार करेगा।

(2) भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, (आर. जी. आई.) नई दिल्ली के कार्यालय से या संबंधित राज्य या केन्द्र शासित क्षेत्र के जनगणना संचालन (डी. सी.. ओ.) के क्षेत्रीय निदेशक के कार्यालय से अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे वार्ड/गांव/प्रक्षेत्र के संबंध में, जहां अस्वच्छकर शौचालय स्थित हैं, जानकारी प्राप्त की जायेगी।

(3) आर. जी. आई. या डी. सी.. ओ. में वांछित आंकड़े उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, स्थानीय प्राधिकार इस प्रयोजन हेतु क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों के कल्याण हेतु कार्य करने वाले समुदाय के नेताओ, अशासकीय संस्थाओं (एन. जी. ओ.) की सहायता प्राप्त करेगा।

(4) स्थानीय प्राधिकार, अपने मुख्य कार्यपालन अधिकारी के अधीन एक समिति का गठन करेगा, जिसमें कम से कम एक सदस्य सफाई कर्मचारियों के समुदाय से होगा, यह समिति सर्वेक्षण की योजना बनायेगी और उसकी निगरानी करेगी।

(5) सर्वेक्षण के अनुसार अस्वच्छ शौचालयों के संबंध में प्राप्त आंकड़े की तुलना इस नियम के उप–नियम (2) में यथा निर्दिष्ट प्राप्त आंकड़े से की जायेगी और कोई भिन्नता होने की स्थिति में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वेक्षण से अस्वच्छकर शौचलयों की सही और निष्पक्ष तस्वीर स्पष्ट हो।

(6) स्थानीय प्राधिकार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपने क्षेत्राधिकार में स्थित अस्वच्छ शौचालयों की प्रारंभिक सूची तैयार करेगा और उसे इस उल्लेख के साथ आपत्ति, यदि कोई हो, को विनिर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त की जायेगी और स्थानीय प्राधिकार के कार्यालय के सूचना पटल में प्रदर्शित करेगा।

(7) स्थानीय प्राधिकार, शिकायतों की सुनवाई के लिए यथा विनिर्दिष्ट सम्यक् तिथि पर एक बैठक का आयोजन करेगा और प्रारंभिक सूची के संबंध में आपत्तियां प्राप्त करेगा तथा अस्वच्छ शौचालयों की अंतिम सूची को अनुमोदित करेगा।

(8) स्थानीय प्राधिकार के द्वारा अस्वच्छ शौचालयों की अंतिम सूची तैयार और प्रकाशित की जायेगी।

(9) समिति, सर्वेक्षण प्रतिवेदन जिला दण्डाधिकारी को परिशिष्ट–तीन में प्रस्तुत करेगी, बदले में, वह स्वयं या अन्य कोई विभाग, जिसे इस प्रयोजन के लिए अभिहित किया गया है, के माध्यम से उसके क्षेत्राधिकार के अधीन समस्त स्थानीय प्राधिकारों का समेकित प्रतिवेदन, राज्य शासन के संबंधित विभाग, जिसे इस प्रयोजन के लिए अभिहित किया गया है, को प्रस्तुत करेगी। अभिहित विभाग, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों से संबंधित मामलों पर कार्य करने वाले राज्य शासन के विभाग को सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और उसकी प्रतिलिपि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने से संबंधित कार्य करने वाले केन्द्रीय मंत्रालय/संबंधित विभाग को पृष्ठांकित करेगा। केन्द्र या राज्य की संबंधित योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राही ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत देय वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. **नोटिस देने की प्रकिया एवं अस्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त करने की लागत की वसूली.–**

(1) स्थानीय प्राधिकार अस्वच्छ शौचालयों की सूची के प्रकाशन के पन्द्रह दिवस के अंदर अस्वच्छ शौचालय के कब्जाधारी को एक सूचना पत्र तामील करेगा कि वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छः माह के अंदर या तो अस्वच्छ शौचालय को ध्वस्त करे या इसे स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित करे। अधिनियम की धारा 20 के अधीन नियुक्त निरीक्षक को भी ऐसी सूचना पत्र की एक प्रति प्रेषित की जायेगी।

(2) सूचना अवधि के अवसान के उपरांत निरीक्षक अस्वच्छ शौचालय के कब्जाधारी के परिसर का निरीक्षण करेगा और उपर्युक्त संबंध में निष्कर्षों से स्थानीय प्राधिकार को प्रतिवेदित करेगा। यदि कब्जाधारी ने अस्वच्छ शौचालय को न तो ध्वस्त किया गया है और न ही स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित किया गया है तो स्थानीय प्राधिकार उसे ध्वस्त करने हेतु आदेश करेगा और उसकी लागत कब्जाधारी से भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करेगा।

6. **हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान के लिये सर्वेक्षण की विषयवस्तु एवं कार्यप्रणाली तथा पात्रता शर्तें और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए पाये गये व्यक्तियों की प्रावधिक सूची का प्रकाशन.**– (1) यदि किसी स्थानीय प्राधिकार के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि कुछ व्यक्तियों को, उसके क्षेत्राधिकार अंतर्गत हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में नियुक्त किया गया है या नियोजित गया है तो स्थानीय प्राधिकार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऐसे व्यक्तियों की पहचान हेतु अपने अधीन सर्वेक्षण करायेगा। भारत के महापंजीयक के आवास सूचीकरण और आवासीय जनगणना के आंकड़ों या अन्य संबंधित आंकड़ों के अनुसार, अस्वच्छ शौचालयों के अस्तित्व में होना, यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण होगा कि कुछ व्यक्तियों को हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों के रूप में नियुक्त या नियोजित किया गया है। स्थानीय प्राधिकार के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों का सर्वेक्षण संपादित किया जायेगा।

(2) राज्य, जिले, अनुविभाग एवं शहर स्तर पर, जहां कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनुसार अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण के दौरान अस्वच्छ शौचालय पाये गये थे, जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकार हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की पहचान के लिए सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले समुदाय के नेताओं या गैर–शासकीय अधिकारियों (एन. जी. ओ.) का भी सहयोग लेगा।

(4) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों को स्वघोषणा केन्द्रों पर स्वयं को घोषित करने हेतु जागरूकता अभियान के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा और ऐसी अवधि के दौरान और ऐसे स्थान पर, उनके विवरणो का सत्यापन किया जायेगा, जिसे स्थानीय प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित किया जायेगा, यदि एन. जी. ओ. या कोई अन्य व्यक्तियों या अभिकरण के द्वारा, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों की सूची, उपलब्ध कराई गई है तो उसका पूरी तरह से सत्यापन करते हुए उनकी पहचान की जायेगी। ऐसी परिस्थिति में, जब किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की संख्या या अस्वच्छ शौचालयों के आंकड़ों के मध्य किसी तरह की भिन्नता हो तो स्थानीय प्राधिकार, गणक के माध्यम से अस्वच्छ शौचालयों में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों के नाम जानने हेतु घर–घर जाकर अस्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण करने का आदेश करेगा। स्थानीय प्राधिकार भी हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों/सफाई कर्मचारियों की सघन बसाहट वाली बस्तियों में जाकर हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की पहचान करने का प्रयास करेगा।

(5) स्थानीय प्राधिकार के द्वारा इस प्रयोजन हेतु अभिहित पर्यवेक्षकों के द्वारा गणकों के द्वारा किये गये कार्य की नमूना जांच, निम्नलिखित संकेतकों की सीमा तक यादृच्छिक चयन के आधार पर किया जायेगा :–

(क) ग्रामों में, 100% जांच;

(ख) शहरों और कस्बों जहां 1000 परिवार से कम में अस्वच्छकर शौचालय हैं, 100% जांच;

(ग) शहरों/कस्बों जहां 1000 से 9999 परिवारों में अस्वच्छकर शौचालय हैं, प्रत्येक गणक द्वारा सत्यापित 50% घोषणाओं की जांच की जायेगी;

(घ) शहरों और कस्बों जहां 10000 से अधिक परिवारों में अस्वच्छकर शौचालय हैं, प्रत्येक गणक द्वारा सत्यापित 33% घोषणाओं की जांच की जाएगी;

(ङ) श्रेणी (ग) और (घ) में, यदि किसी गणक के द्वारा किये गये कार्य के नमूना जांच में 10% से अधिक त्रुटियां हैं तो पर्यवेक्षक के द्वारा उसके द्वारा किये गये कार्य की 100% जांच की जाएगी।

(6) मानव मल के पूर्ण रूप से अपघटित होने के पूर्व, उसके निपटान के लिये, ऐसी युक्ति या उपकरण की सहायता से जो बिजली से कार्य नहीं करता है, सिवाय शारीरिक श्रम के, जैसे बेलचा, पतरा, बाल्टी, झाड़ू, करछा, डलिया, तसला, फावड़ा आदि, जो सुरक्षात्मक कल–पुर्जे या युक्ति या उपकरण या विद्युतीय उर्जा से चलने वाले उपकरण या अन्य किसी स्वरूप की उर्जा जो यांत्रिक रूप से पारेषित हो, से तथा मनुष्य द्वारा या किसी पशुबल अभिकरण द्वारा उत्पन्न नहीं हो, की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, में किसी व्यक्ति को लगाया जाता है तो वह मैला ढोने का कार्य करने वाले कर्मचारी के रूप में अर्थ लगाया जायेगा और वह हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी समझा जाएगा;

(7) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी की पहचान के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का बंधन नहीं है और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के रूप में पहचान हेतु जाति या धर्म या आय संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(8) अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (छ) में परिभाषित अनुसार कोई व्यक्ति हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के रूप में नियुक्त है या नियोजित है और सर्वेक्षण के पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान वास्तव में निरंतर कम से कम तीन माह से इस रूप में कार्य कर रहा है।

(9) पर्यवेक्षकों के द्वारा यथा सत्यापित हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में पहचाने गए लोगों की प्रारूप सूची, संबंधित स्थानीय प्राधिकार के द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी और उनके अपने कार्यालय में और ऐसे अन्य स्थानों में, जहां वे उचित समझते हैं, प्रदर्शित की जाएगी। प्रारूप सूची की एक प्रति, स्थानीय प्राधिकार के सदस्यों और गैर सरकारी संगठनों/सफाई कर्मचारियों के समुदाय के नेताओं को भी उपलब्ध कराई जाएगी। स्थानीय प्राधिकार, प्रारूप सूची प्रकाशित करते हुए, दो सप्ताह की अवधि के अंदर विहित प्रपत्र में उक्त सूची पर लोक सदस्यों से आपत्ति और दावा आहूत करेगा।

(10) यदि किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (4) सहपठित धारा 14 के अनुसरण में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की प्रावधिक सूची में अंकित किसी नाम के या तो समावेशन या अपवर्जन में कोई आपत्ति है तो वह उक्त प्रकाशन से 15 दिवस के अवधि के अंदर विहित प्रारूप में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

7. **हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के रूप में कार्य करते हुए पाये गये व्यक्तियों की अंतिम सूची का प्रकाशन.**– (1) स्थानीय प्राधिकार अपने क्षेत्राधिकार में, यदि हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की सूची को अंतिम रूप देने की आवश्यकता समझा है, तो सूची में प्राप्त आपत्तियों की जांच करेगा और एक बैठक आयोजित करेगा। स्थानीय प्राधिकार के द्वारा सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन किए जाने के उपरांत, सूची में समावेशित या अपवर्जित करने हेतु सूची पर कोई भी दावा या आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगा, तथापि हाथ से मैला ढोने वाला कर्मचारी द्वारा अपने बारे में स्वघोषणा पत्र देने पर, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के रूप में पात्र होगा।

(2) जिला कलेक्टर, प्राप्त दावा एवं आपत्तियों की जांच और उन पर निष्कर्ष देने हेतु तहसीलदार/विकास खण्ड अधिकारी से अनिम्न अधिकारी को अधिसूचित करेगा।

(3) दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र, अभिहित स्थान (स्थानों) में मांग किए जाने पर, साथ ही जिला/स्थानीय प्राधिकार की वेबसाईट के माध्यम से आवेदक को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। दावाकर्ता या आपत्तिकर्ता अपने दावे का समर्थन दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, से कर सकता है।

(4) अभिहित अधिकारी के द्वारा संक्षिप्त सुनवाई संपादित की जायेगी। दावे के सत्यापन के लिए अभिहित अधिकारी, यदि आवश्यक हो, नये सिरे से सत्यापन किए जाने का आदेश कर सकेगा। संक्षिप्त सुनवाई और उसके बाद किये गये सत्यापन (यदि आदेशित है) पर, अधिकारी दावा/आपत्ति को स्वीकार या अस्वीकार्य करने का एक समुचित आदेश पारित करेगा। आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, संबंधित व्यक्ति को प्रदान की जायेगी।

(5) अभिहित अधिकारी के द्वारा दावों एवं आपत्तियों के समाधान के उपरांत स्थानीय प्राधिकार प्रारूप सूची में आवश्यक सुधार करेगा और उस पर विचार करने हेतु जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति को प्रेषित करेगा।

(6) जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति के द्वारा सूची अनुमोदित किए जाने के उपरांत इसे संबंधित कार्यालयों के सूचना फलक में सम्यक् रूप से प्रकाशित की जाएगी और अंतिम सूची जिला और राज्य शासन की वेबसाईट में भी अपलोड की जायेगी।

(7) जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार से प्राप्त हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की सूची को समेकित करने का कार्य करायेगी और जिले के लिए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की सूची तैयार करायेगी जिसे जिला कलेक्टर के द्वारा सर्वे हेतु राज्य नोडल विभाग को अग्रेषित किया जाएगा।

(8) राज्य नोडल विभाग, विभिन्न जिलो से प्राप्त हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की सूची समेकित करेगा और हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की एक समेकित राज्य सूची तैयार करायेगा।

(9) सैनिक मण्डल एवं रेल्वे भी अपने प्रशासित क्षेत्रों में अधिनियम और इन नियमों में दी गई समान प्रकिया की सहायता से हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों का सर्वेक्षण करायेंगे।

8. **स्थानीय प्राधिकार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदन करने की रीति.**– (1) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के रूप में कार्यरत कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 11 या धारा 15 के अनुसरण में या तो स्थानीय प्राधिकार के अधीन किये जा रहे सर्वेक्षण के दौरान या उसके उपरांत किसी भी समय, स्थानीय प्राधिकार के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को या उनके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के रूप में पहचाने जाने के लिए परिशिष्ट–चार के अनुसार विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है।

(2) इस प्रकार की प्रत्येक घोषणा का सत्यापन, गणक के द्वारा किया जायेगा, जो हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के परिवारो से भेंट करेगा और जानकारी का सत्यापन करेगा।

9. **एक बार नगद सहायता की प्रारंभिक मात्रा.**– उपरोक्त नियम या अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की प्रकाशित अंतिम सूची में सम्मिलित या अधिनियम की धारा 12 की उप–धारा (3) या धारा 15 की उप–धारा (2) के अनुसरण में, वहां जोड़े गये किसी व्यक्ति को, हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए संघ क्षेत्रीय स्वरोजगार योजना के अधीन ऐसे प्रारंभिक रूप से या एक बार नगद सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

10. **निरीक्षक की शक्तियां.**– (1) **(एक)** समुचित शासन, अस्वच्छ शौचालयों या सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाकपूर्ण सफाई से, संबंधित किसी निरीक्षण, अनुसंधान या जांच संपादित करने के प्रयोजन हेतु जैसा कि आवश्यक समझा जाये और जब अपेक्षित हो, निरीक्षकों को नामांकित कर सकता है। समुचित शासन, अधिसूचना द्वारा, निरीक्षकों को नामांकित करेगा और उनकी स्थानीय अधिकारिता की सीमा, जिनके अंतर्गत वे अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे, को परिभाषित करेगा।

(दो) समुचित शासन, समय समय पर, इस नियम के उप–नियम (एक) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों का एक पैनल और अभिकरण तैयार कर सकेगा।

(तीन) इस नियम के उप–नियम (एक) के अधीन निरीक्षकों को, ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक

भत्ते का भुगतान किया जायेगा जैसा कि उसके संगठन के द्वारा, जहां कि वह नियोजित है, में अनुज्ञात किया जाये।

(चार) निरीक्षकों को, उप–नियम (तीन) में निर्दिष्ट यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के अतिरिक्त, समुचित शासन द्वारा विनिश्चित किए गये अनुसार मानदेय का भी भुगतान किया जाएगा।

(2) (एक) अधिनियम की धारा 20 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षकों को, अपने क्षेत्राधिकार के अधीन स्थित किसी भी लोक या निजी परिसर में, परिसर के मालिक को पूर्व में दिए गए सूचना पत्र के साथ, यथोचित समय में प्रवेश का अधिकार होगा और उसकी उपस्थिति में शौचालयों, खुली नालियों और गड्ढों या किसी अन्य स्थान या खुले स्थान जहां इस अधिनियम के अधीन अपराध हो रहा है या हुआ है या ऐसा होने की प्रतिबद्धता हो, का निरीक्षण परीक्षण एवं जांच करने का अधिकार होगा ।

(दो) वह अपने नामांकन की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट स्थानीय अधिकारिता की सीमाओ के भीतर किसी संरचना, स्थल, स्थान या परिसर का परीक्षण करेगा जब यह विश्वास करने का कारण हो कि उस परिसर का उपयोग, सीवर/सेप्टिक टैंक की खतरनक ढंग से सफाई के लिए किया गया है या किया जा रहा है या उसका इससे संबंध है।

(तीन) सीवर/सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई या अस्वच्छ शौचालयों से संबंधित कोई परीक्षण या जांच के प्रयोजन के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का कथन, जो उसके विचार से आवश्यक है, मौके पर ही या अन्यथा लेगा :

परंतु ऐसा व्यक्ति, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए या ऐसी गवाही देने के लिए, जो उसे दोषी ठहराने के लिए हो, बाध्य नहीं होगा।

(चार) इन नियमों के अधीन किसी परीक्षण या जांच के प्रयोजन से छायाचित्र, वीडियो क्लिप, नमूना, अभिलेख या बनाया गया कोई रेखाचित्र, जो वह आवश्यक समझे, लेगा।

(पांच) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि सीवर/सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई हो रही है तो वह उस खतरनाक सफाई को तत्काल रोकेगा।

11. **राज्य निगरानी समिति के सदस्यों की पदावधि, पद की रिक्ति और भत्ते.–** (1) अधिनियम की धारा 26 की उप–धारा (1) के खण्ड (ड.) और (झ) के अधीन नामांकित राज्य निगरानी समिति के प्रत्येक सदस्य, राजपत्र में उनके नामांकन की अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और उक्त अवधि के अवसान पर, निरंतर तब तक पद धारण करेगा, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नामांकित नहीं हो जाता और वह पुनः नामांकन के लिए भी पात्र होगा। धारा 26 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) में यथा निर्दिष्ट नगर पालिक निगम या जिला पंचायत के कम से कम एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चक्रानुक्रम में दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य,–

(क) प्राधिकारी, जिसने उसे नामांकित किया है, को अपना पद त्याग करने हेतु, 30 दिवस की अन्यून अवधि में, लिखित सूचना पत्र देगा और ऐसे त्यागपत्र स्वीकार होने पर या सूचना पत्र देने के 30 दिवस के अवसान होने पर, जो भी पहले हो, उसका पद रिक्त समझा जायेगा।

(ख) उसका पद रिक्त समझा जायेगा– (एक) यदि वह, समिति की लगातार तीन बैठकों में, अध्यक्ष से अनुपस्थिति की अनुमति अभिप्राप्त किए बिना, उपस्थित होने में विफल रहता है :

परंतु प्राधिकार, जिसने उसे नामांकित किया है, यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा सदस्य पर्याप्त कारणों से समिति की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित होने से निवारित रहा है, तो वह उसकी सदस्यता, बहाल कर सकेगा ।

(दो) यदि वह, निम्नलिखित निरर्हताओं में से किसी के अधीन हो जाता है, अर्थात:–

(एक) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है

(दो) किसी सक्षम प्राधिकार के द्वारा विकृत चित्त घोषित हो जाता है

(तीन) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें प्राधिकार, जिसने उसे नामांकित किया है, की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, दोषसिद्ध हो जाता है ।

(ग) पद से हटाया जा सकेगा, यदि प्राधिकार, जिसने ऐसे सदस्य को नामांकित किया है, की राय हो कि अभिरूचि (कार्य करना), जिसके लिए वह नामांकित है, दर्शित करना बंद कर देता है:

परंतु इस खण्ड के अधीन किसी सदस्य को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे ऐसे हटाये जाने के विरूद्ध कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

(3) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति हेतु नामांकित सदस्य, अपने पूर्वाधिकारी की अनवासित भाग की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(4) (1) राज्य निगरानी समिति के शासकीय सदस्य के यात्रा भत्ते उसके द्वारा अपने शासकीय कर्तव्य पर की गई यात्रा के लिए लागू नियमों के अधीन शासित होगा और उसका भुगतान उसके वेतन भुगतान करने वाले प्राधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्य निगरानी समिति के अशासकीय सदस्य के यात्रा भत्ते, ऐसी समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए राज्य शासन के प्रवेश स्तर के प्रथम श्रेणी अधिकारी (समूह–एक) के लिए यथा लागू दर पर भुगतान किया जाएगा और दैनिक भत्ते की गणना ऐसे अधिकारी को देय अधिकतम दर पर की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

491

परिशिष्ट–एक

हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों के सर्वेक्षण के लिए जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना और कृत्य

1. जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना :–

स. क्र.	संरचना	पदनाम
1.	जिला दण्डाधिकारी	अध्यक्ष
2	अनुसूचित जाति से संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी जिसे राज्य शासन द्वारा नामांकित किया जायेगा	सदस्य सचिव
3.	जिला सांख्यिकीय अधिकारी	सदस्य
4.	नगरीय विकास विभाग/स्थानीय स्वशासी विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य
5.	रेलवे का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर–शासकीय संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.	समुदाय के दो प्रतिनिधि जिनमें से एक महिला होनी चाहिये	सदस्य

2. जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति के कृत्य :–

(1) जिला स्तर पर सर्वेक्षण की प्रकिया की निगरानी (मॉनिटरिंग) और पर्यवेक्षण।
(2) शहर में मीडिया सामग्री का वितरण।
(3) सर्वेक्षण के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों आदि के द्वारा प्रचार की व्यवस्था।
(4) अपने क्षेत्राधिकार के शहरों/ग्रामों में अनुवादित सर्वेक्षण सामग्री का वितरण।
(5) जिले के समस्त शहरों/कस्बों/ग्रामों के लिए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की अंतिम सूची का अनुमोदन।
(6) जिले में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की अंतिम समेकित सूची का प्रकाशन।

परिशिष्ट–दो

हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों के सर्वेक्षण के लिए राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना और कृत्य

1. राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की संरचना :–

स.क्र.	संरचना	पदनाम
1.	राज्य शासन द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव	अध्यक्ष
2.	यदि समिति का अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव है तो अनुसूचित जाति से संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव। यदि प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण स्वयं अध्यक्ष हैं तो संचालक, अनुसूचित जाति कल्याण।	सदस्य सचिव
3.	संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी	सदस्य
4.	सचिव, नगरीय विकास विभाग/स्थानीय स्वशासी विभाग	सदस्य
5.	क्षेत्रीय निदेशक, जनगणना कार्य	सदस्य
6.	रेलवे का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	हाथ से मैला ढोने वाले और सफाई कर्मचारियों के लिये कार्य कर रहे गैर–शासकीय संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
8.	समुदाय के दो प्रतिनिधि जिसमें से एक महिला होनी चाहिये	सदस्य

2. राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति के कृत्य :–

(1) हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों के सर्वेक्षण की योजना, समन्वयन और निगरानी (मॉनिटरिंग) ।
(2) मीडिया सामग्री तैयार करना और इसका स्थानीय भाषा में अनुवाद करना।
(3) अपने क्षेत्राधिकार के अधीन शहरों/ग्रामों में अनुवादित सर्वेक्षण सामग्री का वितरण।
(4) जिलों मे मिडिया सामग्री का वितरण।
(5) सर्वेक्षण के बारे में स्थानीय समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रचार की व्यवस्था।
(6) राज्य के समस्त शहरों/कस्बों/ग्रामों के लिए हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की अंतिम सूची का संग्रहण एवं अनुमोदन।
(7) राज्य में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की अंतिम समेकित सूची का प्रकाशन।

परिशिष्ट–तीन (497)

सर्वेक्षण रिपोर्ट

अस्वच्छ शौचालय का विवरण :

1. व्यक्तिगत अस्वच्छ शौचालय का विवरण (आईआईएल):

स क्र.	व्यक्तिगत अस्वच्छ शौचालय के मालिक का नाम	स्थान		हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी का मासिक वेतन / पारिश्रमिक (रू)	
		शुष्क शौचालय	शौचालय जहां से मल खुली नालियों में बहाया जाता है	नगद में	भोजन आदि के रूप में

हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के द्वारा साफ किए जाने वाले व्यक्तिगत अस्वच्छ शौचालयों की कुल संख्या

(टीप : हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के द्वारा साफ किए जाने वाले व्यक्तिगत अस्वच्छ शौचालयों का कृपया विस्तृत विवरण दें। यदि आप कोई अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं तो कृपया इस पृष्ठ की फोटोकापी कर सर्वेक्षण प्रपत्र के साथ संलग्न करें।)

2. सामूहिक अस्वच्छ शौचालय का विवरण (सीआईएल):

स क्र.	सामुदायिक अस्वच्छ शौचालय के मालिक (संगठन / अभिकरण) का नाम	स्थान		हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी का मासिक वेतन / पारिश्रमिक (रू)	
		शुष्क शौचालय	शौचालय जहां से मल खुली नालियों में बहाया जाता है	नगद में	भोजन आदि के रूप में

3. खुली नालियों (ओडी) / रेल पटरियों / अन्य स्थान का विवरण :

स क्र.	खुली नालियों / रेल पटरियों / अन्य स्थान का पता जहां अस्वच्छ शौचालय से मल बहाया जाता है	हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी का मासिक वेतन / पारिश्रमिक	
		नगद में	वस्तु के रूप में (रू.)

(टीप : यदि ओडी में हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी की संख्या एक से अधिक है तो कृपया प्रत्येक हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी के लिए एक पृथक प्रपत्र भरा जाये।)

परिशिष्ट–चार

स्वघोषणा प्रपत्र

हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारियों की पहचान

(कार्यालयीन उपयोग)

हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी का छायाचित्र

- राज्य का नाम
- जिला
- नगरपालिका ..... शहर ..... वार्ड .....
- पंचायत ..... ग्राम .....

हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी
के परिवार का छायाचित्र

(छायाचित्र पोस्टकार्ड साईज का 6"X 4")

1. हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी का नाम : .....
2. पिता / माता / पति / पत्नी का नाम : .....
3. उम्र .....
4. लिंग पुरूष ☐ स्त्री ☐
5. शैक्षणिक स्तर : (उपयुक्त खाने में √ का चिन्ह लगाएं)

(एक) (क) साक्षर ☐ (ख) निरक्षर ☐

(दो) यदि साक्षर हैं तो शिक्षा का स्तर

(क) कक्षा 1–5 ☐ कक्षा 6–10 ☐ कक्षा 11–12 ☐ कक्षा 12 से ऊपर ☐

6. व्यवसाय

(एक) अस्वच्छ शौचलय से मानव मल की सफाई/निपटान/उठाना ☐

(दो) अनुपचारित मानव मल की हाथ से सफाई: (क) खुली नाली से ☐

(ख) रेल पटरियों से ☐ (ग) शौचालय के गड्ढों से ☐

7. रोजगार की स्थिति :–

(एक) नियोजित हैं :

(क) निजी :

(एक) अकेले परिवार में ☐ (दो) समुदाय/सामूहिक परिवार में ☐

(तीन) ठेकेदार ☐ (चार) संस्थान जैसे अस्पताल कार्यालय आदि. ☐

(पांच) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

(ख) केन्द्र शासन ☐ **(ग)** राज्य शासन ☐

(घ) नगर पालिक निगम ☐

(दो) नियोजन का आधार :

(क) स्थाई आधार पर ☐ **(ख)** अस्थाई आधार पर ☐

(ग) संविदा आधार पर ☐ **(घ)** जजमानी ☐

8. इस व्यवसाय में आप कितनी अवधि से हैं : .....

9. सामाजिक पृष्ठभूमि :

(क) क्या अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./अन्य से संबंधित हैं ☐

(ख) जाति ☐ **(ग)** उप जाति ☐

(घ) धर्म ☐

(496)

10. **(क)** क्या आप ने शासन की पुनर्वास योजना से कोई लाभ प्राप्त किया है ?

(उपयुक्त खाने में √ का चिन्ह लगाएं)

हां	नहीं

(ख) यदि हां, तो योजना का नाम (उपयुक्त खाने में √ का चिन्ह लगाएं)

स क्र.	**योजना का नाम**	**रूपये**
(1)	(2)	(3)
1.	मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना (एन.एस. एल.आर.एस.)	
2.	मैला ढोने वालों के पुनर्वास हेतु स्वरोजगार योजना (एस.आर.एम.एस)	
3.	कोई अन्य (कृपया योजना (योजनाओं) का नाम विनिर्दिष्ट करें)	

(ग) यदि हां तो क्या परियोजना उपर्युक्त चल रही योजनाओं के द्वारा वित्त पोषित हैं :

हां	नहीं	यदि हां तो मासिक आय (रूपये)

11. **(क)** क्या आप मैला ढोने के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में संलग्न हैं?

हां ☐ नहीं ☐

(ख) यदि हां तो कृपया विनिर्दिष्ट करें

12. कोई अन्य कौशल जो आपके पास है :

(एक) निर्माण ☐ (दो) बढ़ाईगिरी ☐

(तीन) वाहन चालन ☐ (चार) पाक कला ☐

(497)

(पांच) सिलाई ☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) .....

13. प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवसाय (कृपया उल्लेख करें) : .....

हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी का नाम और पता .....

..... पिनकोड .....

संपर्क दूरभाष / मोबाइल नं. .....

हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी का हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी

.....

नाम और तारीख.....

.....

डाटा एंट्री आपरेटर का हस्ताक्षर

.....

.....

नाम और तारीख (कोड नं. सहित)

.....

गणक का हस्ताक्षर .....

नाम और तारीख (कोड नं. सहित)

.....

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर .....

नाम और तारीख (कोड नं. सहित)

.....

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक/एफ-19-45/25-3/2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

No. F-19-45/25-3/2012.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 36 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013), the State Government, hereby, makes the following rules, namely :—

RULES

1- **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Chhattisgarh Prohibition of Employment as manual Scavengers and their Rehabilitation Rules, 2014.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall be enforced and have effect on all organizations and areas for which the State Government is the appropriate Government.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) **"Act"** means the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (No. 25 of 2013);

(b) **"District Level survey Committee"** means the Committee constituted by the State Government to conduct and oversee the Process of the Survey of the manual scavengers in the district. The composition and functions of the Committee shall be notified by the State Government as per **Annexure-I**;

(c) **"Inspector"** means a person appointed as "inspector" by the State Government as per the provisions of sub-section (1) of Section 20 of the Act;

(d) **"Numerator"** means any person engaged by the Local Authority for the purpose of survey or verification of mannual scavengers;

(e) **"State Level Survey Committee"** means the Committee constituted by the State Government for planning, co-ordinating and monitoring the survey of manual scavengers in the State through the District Level Survey Committees. The composition and functions of the Committee shall be notified by the State Government as per **Annexure-II**;

(f) **"Supervisor"** means an official engaged by the Local Authority to upervise the work of survey done by the enumerator and to further verify the veri' ition done by the enumerator.

(2) All other words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as defined under the Act.

3. **Obligations of the Employer towards its Employees engaged for the cleaning of sewer or septic tank.**— (1) No person shall be engaged for hazardous cleaning of a sewer or a septic tank.

(2) If any person is engaged in cleaning a sewer or a septic tank he shall be provided by his employer, the following protective gear and safety devices :—

499

(i)	Safety Body Clothing/Safety Body Belt
(ii)	Normal Face Mask
(iii)	Safety Torch
(iv)	Hand Gloves
(v)	Safety Goggles
(vi)	Safety Helmet
(vii)	Emergency Medical Oxygen Resuscitator Kit
(viii)	Gas Monitor (4 Gases)
(ix)	Head Lamp
(x)	Reflecting Jacket
(xi)	Guide Pipe Set
(xii)	Safety Tripod Set
(xiii)	Wadder Suit
(xiv)	Breathing Apparatus
(xv)	Chlorine Mask
(xvi)	Air Compressor for Blower
(xvii)	Modular Airlines Supply Trolley System
(xviii)	Full Face Mask
(xix)	Safety Gumboots
(xx)	Raincoat

(3) The Local Authority shall ensure that the latest modern safety equipments and technology are used for cleaning of sewers and septic tanks.

(4) The employer shall also ensure the following safety precautions before the employee is engaged in the cleaning of a sewer or a septic tank, namely:-

(a) There shall be a minimum of two employees present at all times, one of whom shall be a supervisor;

(b) The atmosphere within the confined space must be tested for oxygen deficiency and toxic and combustible gas;

(c) At least one trained and experienced employee shall be present at all times during sewer cleaning;

(d) Before starting the cleaning operation, the Supervisor shall inspect and determine, whether the sewer serves any industries nearby to anticipate the hazardous atmosphere that may be encountered;

(e) The condition of metal-rung ladders and the side walls of the manhole shall be checked, whether there is any danger of collapse;

(f) Smoking or open flames in or near the sewer manhole shall not be permitted;

(g) Traffic and pedestrian barricades shall be provided at all times;

(h) A flag man shall be stationed at least 50 feet ahead of a site and shall be visible to incoming traffic from at least 500 feet.

4. The Manner of carrying out survey of insanitary latrines and publishing list.- (1) Every Local Authority shall carry out, within a period of two months from the date of commencement of the Act, a survey of insanitary latrines and publish the list of insanitary latrines in its area, for which a time schedule would be drawn.

(2) The information about wards /villages/pockets having insanitary latrines would be obtained inter alia from the office of Registrar General and Census Commissioner of India (RGI), New Delhi or from the office of Regional Director of Census Operations (DCO) in the concerned State and Union Territory.

(3) In case the required data is not available with the RGI or DCO, the Local Authority shall take the assistance of the community leaders/Non Governmental Organisations (NGOs) working in the area for the welfare of the Safai Karmacharis, for this purpose.

(4) The Local Authority would constitute a Committee under its Chief Executive Officer with at least one member from the community of Safai Karmacharis, this Committee shall plan and monitor the survey.

(5) The data of insanitary latrines as per the survey would be compared with the available data as referred to in sub-rule (2) of this rule and in case of any discrepancy, the Chief Executive Officer shall ensure that the survey reflects a true and fair picture of the insanitary latrines.

(6) The Chief Executive Officer of the Local Authority shall prepare an initial list of insanitary latrines existing in his jurisdiction and display the same at the notice board of the office of the Local Authority specifying the date by which objections, if any, to the list, would be received.

(7) Local Authority would cause to hold a meeting on the due date as specified to hear the complaints and objections received on the initial list and approve the final list of insanitary latrines.

(8) The final list of insanitary latrines would be prepared and published by the Local Authority.

(9)The Committee would submit the survey report in **Annexure-III** to the District Magistrate, who himself or through any department designated by him for this purpose, in turn, would submit the consolidated reports of all the local authorities under his jurisdiction to the concerned department of the State designated for this purpose. The designated department shall furnish the report of the survey to the Department of the State Government dealing with the issues of manual scavengers, with an endorsement copy to the concerned Central Ministry/Department dealing with the Schemes of conversion of insanitary latrines into sanitary latrines for urban and rural areas. The eligible beneficiaries under the relevant Schemes of the Central or State Government may apply for the admissible financial assistance under such Schemes.

5. **Procedure of giving notice and recovering cost of demolition of an insanitary Latrine.-** (1) The Local Authority, within fifteen days of publication of list of insanitary latrines, would serve notice to the occupier of the insanitary latrine to either demolish such insanitary latrine or convert it into a sanitary latrine within a period of six months from the date of commencement of the Act. A copy of such notice will also be sent to the Inspector appointed under Section 20 of the Act.

(2) After the expiry of notice period, the inspector would inspect the premises of the occupier of insanitary latrine and report to the Local Authority about his findings. If the occupier has neither demolished nor converted the insanitary latrine into a sanitary latrine the Local Authority would order for its demolition and recover the cost from the occupier as arrears of land revenue.

6. **Content and methodology of survey and the eligibility condition for identification of Manual Scavengers and publication of provisional list of persons found to be working as Manual Scavengers.-** (1) If any Local Authority has reason to believe that some persons are engaged or employed as manual scavengers within its jurisdiction, the Chief Executive Officer of the Local Authority shall cause a survey to be undertaken to identify such persons. Existence of insanitary latrines as per the 'Houselisting and Housing Census' data of Registrar General of India or any other relevant data, would be sufficient reason to believe that some persons are engaged or employed in manual scavenging. The survey of manual scavengers shall be conducted by the Local Authority within its jurisdiction.

(2) Awareness campaign shall be carried out at the State, District, Sub-Division and Town Level, wherever insanitary latrines were found during the survey of insanitary latrines as envisaged in clause (a) of sub-section (1) of Section 4 of the Act.

(3) The Local Authority shall also associate community leaders or Non-

Governmental Organisations (NGOs) working for welfare of Safai Karamcharis in identification of manual scavengers.

(4) The Manual Scavengers shall be invited through awareness campaign to declare themselves at the Self-declaration Centers and have their details verified during a period and at places, which shall be notified by the Local Authority. The lists of manual scavengers, if provided by the NGOs or any other persons or agency, would be fully verified to identify manual scavengers. In case of any discrepancy between the data of insanitary latrines or the number of manual scavengers thrown up by any person or organization, the Local Authority shall order a house-to-house survey of insanitary latrines by the enumerators to know the names of manual scavengers servicing those insanitary latrines. Local Authority shall also make efforts to identify manual scavengers by visiting the habitations of concentration of Safai Karamcharis/Manual Scavengers.

(5) Sample checks of the work done by the enumerators shall be carried out by Supervisors designated for the purpose by the Local Authority, on the basis of random selection to the extent indicated below:-

(a) 100% check, in villages;

(b) 100% check, in cities and towns having less than 1000 households with insanitary latrines;

(c) 50% of the declarations, verified by each enumerator, shall be checked in towns/ citics having 1000 to 9999 households with insanitary latrines;

(d) 33% of the declarations, verified by each enumerator, shall be checked in towns/cities having 10000 or more households with insanitary latrines;

(e) In categories (c) and (d), if sample check of the work done by any enumerator reveals an error of more than 10%, a 100% check of his work shall be carried out by the supervisor.

(6) Handling the human excreta, before it is fully decomposed, with the help of such device or equipment which does not work on power, excluding manual power, such as belcha, patra, bucket, broom, scoop, dalia, tasla, phawda etc., which does not come under the definition of protective gear or a device or equipment operated by power generated by electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency, shall be construed as manual scavenging and the person engaged for such handling shall be treated as a Manual Scavenger.

(7) There is no minimum or maximum age limit for identification of Manual Scavenger and there shall be no restriction regarding the caste or religion or income for being identified as Manual Scavenger.

(8) A person should have been engaged or employed as Manual Scavenger as defined in clause (g) of sub-section (l) of Section 2 of the Act and actually working as such continuously for not less than three months during the preceding one year of the survey.

(9) A draft list of identified Manual Scavengers as verified by the Supervisors, shall be published by the concerned Local Authority in local newspapers and displayed in its own office and at such other places as deemed appropriate. A copy of the draft list should also be made available to members of the Local Authority and the Non-Governmental Organisations/Community leaders of Safai Karmacharis. While publishing the Draft List, the Local Authority would call upon members of the public to file claims and objections vis-a-vis, the list, within a period of two weeks, in prescribed format.

(10)Any person having any objection either to the inclusion or exclusion of any name in the provisional list of Manual Scavengers in pursuance of sub-section (4) of Section 11 of the Act, read with Section 14, may within a period of fifteen days from such publication, file an objection in the prescribed format.

7. **Publication of Final List of persons found to be working as Manual Scavengers.-** (1) The Local Authority shall get the objections enquired into and hold a meeting, if necessary to finalize the list of Manual Scavengers in his jurisdiction. After publication of the Final List by the Local Authority, no claim or objection on the list shall be accepted for being included or excluded in the list, however the Manual Scavenger would be entitled to give self-declaration about his being a Manual Scavenger.

(2)The District Collector shall notify officers not below the rank of Tehsildar/Block Development Officer for enquiring into claims and objections received and giving their findings.

(3) Forms for filing claims and objections shall be made available to the applicants free of charge on demand at the designated place(s), as also through the website of District/Local Authority. A claimant or objector may support his/her claim with documentary evidence, if any.

(4) Summary hearings shall be conducted by designated officers. The officer designated to verify the claims may order fresh verification, if necessary. After summary hearing and such further verification (if ordered), the officer shall pass an appropriate order, accepting or rejecting the claim/objection, as the case may be, a copy of the order shall be given to the persons concerned.

(5) After settlement of claims & objections by the Designated Authority, the Local Authority shall carry out necessary corrections in the draft list and transmit it to the District Level Survey Committee for its consideration.

(6)After the approval of the list by the District Level Survey Committee, it shall be duly published at the notice boards of concerned offices and the final list shall also be uploaded on the website of the District and the State Government.

(7) The District Level Survey Committee shall cause compilation of lists of Manual Scavengers received from each Local Authority and prepare a list of

Manual Scavengers for the district, which the District Collector shall forward to the State nodal Department for the Survey.

(8)The State Nodal Department shall receive lists of Manual Scavengers from various districts, compiled and shall prepare a consolidated State list of Manual Scavengers.

(9)The Cantonment Boards and Railways shall also conduct survey of Manual Scavengers in the areas administered by them with the help of the same procedure given in the Act and these rules.

8.Manner of application to be made to the Chief Executive Officer of the Local Authority.- (1) Any person working as a Manual Scavenger, may either during the survey undertaken by the Local Authority in pursuance of Section 11 or Section 15 of the Act, or any time thereafter, apply to the Chief Executive Officer of the Local Authority or to any other officer authorized by him in this behalf, for being identified as Manual Scavenger in the prescribed format as per **Annexure-IV.**

(2) Verification of each such declaration shall be done by the Enumerator, who shall visit households of Manual Scavengers and verify the information.

9. Quantum of initial, one time, cash assistance.- Any person included in the final list of Manual Scavengers published in pursuance of above rules or Section 14 of the Act or added thereto in pursuance of sub-section (3) of Section 12 or sub-section (2) of Section 15 of the Act, shall be provided with such initial or one time, cash assistance as provided under the Central Sector Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers.

10. Powers of the Inspector.-(1) (i) The appropriate government may nominate inspectors as deemed necessary as and when required, for the purpose of conducting any inspection, investigation or enquiry relating to insanitary latrines or hazardous cleaning of sewers and septic tanks. The appropriate government shall nominate such inspectors by notification and define the local limits within

which they shall exercise their powers.

(ii) The appropriate government may, from time to time, prepare a panel of experts and agencies referred to in sub-rule (i) of this rule.

(iii) The inspector under sub-rule (i) of this rule shall be paid such travelling allowances and daily allowances as are allowed to him by his organization where he is employed.

(iv)In addition to travelling allowance and daily allowance referred to in sub-rule (iii) to an inspector, he shall also be paid honorarium as decided by the appropriate government.

(2) (i) The inspector appointed under sub-section (1) of Section 20 of the Act shall have power to enter in any premises, public or private, at reasonable times within his jurisdiction, with prior notice to the owner of the premises and in their presence to inspect, examine and test latrines, open drains and pits, or any other place or spaces, where an offence under the Act has been, or being or about to be committed.

(ii) Examine such structure, site, place or premises within the local limits specified in his notification of nomination, when there are reasons to believe that such premises are being used for hazardous cleaning of sewer / septic tank has been or is being or about to be undertaken.

(iii) Take on the spot or otherwise such statement from any person which he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry connected with insanitary latrines or hazardous cleaning of sewer/septic tank:

Provided that such person shall not be compelled to answer any question or give any such evidence tending to incriminate him.

(iv) Take photographs, video clips, samples, record or make any sketches as he may consider necessary for the purpose of any examination or enquiry under these rules.

(v) If it appears to the inspector that hazardous cleaning of sewer/septic tank is being resorted to stop hazardous cleaning forthwith.

11. **Term of office, vacation of seat and allowances of the members of State Monitoring Committee.-** (1) Every member of the State Monitoring Committee nominated under clauses (e) and (i) of sub-section (1) of Section 26 of the Act shall hold office for a period of two years from the date of notification in the Official Gazette of their nomination and shall, on the expiry of the said period, continue to hold office until his successor is nominated and shall also be eligible for re-nomination. At least one Chief Executive Officer of Municipal Corporation or Zila Panchayat as referred to in clause (h) of sub-section (l) of Section 26, shall hold office for a period of two years on rotation basis.

(2) Every member, referred to in sub-rule (1),-

(a) shall give notice in writing of not less than 30 days to the authority which nominated him, to resign from his office and, on such resignation being accepted or on the expiry of the notice period of 30 days, whichever is earlier, shall deemed to have vacated his office;

(b) shall deemed to have vacated his office- (i) If he fails to attend three Consecutive meetings of the Committee without obtaining leave of the Chairman of such absence:

Provided that the authority, which nominated him may, if satisfied that such member was prevented by sufficient cause from attending the three consecutive meetings of the Committee, can restore membership to him.

(ii) If he becomes subject to any of the following disqualifications, namely:-

(one) is adjudged insolvent;

(two) is declared to be of unsound mind by a Competent Authority.

(three) is convicted of an offence which, in the opinion of the authority, which nominated him, involves moral turpitude.

(c) May be removed from office, if the authority which nominated such member, is of the opinion that he has ceased to represent the interest for which he was nominated:

Provided that a member shall not be removed from office under this clause unless a reasonable opportunity is given to him for showing cause against such removal.

(3) A member, nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

(4) (1) The travelling allowance of an official member of the State Monitoring Committee shall be governed by the rules applicable to him, for journey performed by him, on official duties and shall be paid by the authority paying his salary.

(2) The non-official members of the State Monitoring Committee shall be paid travelling allowance for attending the meeting of such committee at such rates as applicable to the Entry Level Class-I (Group-I) Officer of the State Government and the daily allowance shall be calculated at the maximum rate admissible to such officer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL CHOUDHARY, Deputy Secretary.

Annexure-I

Composition and functions of the District Level Survey Committee for Survey of Manual Scavenger

1. Composition of the District Level Survey Committee:-

S.No.	Composition	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	District Magistrate	Chairman
2.	District Level Officer belonging to the Scheduled Castes nominated by the State Government	Member Secretary
3.	District Statistical Officer	Member
4.	District level officer of Urban Development Department/Local Self Government Department	Member
5.	One representative of Railways	Member
6.	Two representatives of Non-Government Organisations working for Welfare of Manual Scavengers and Safai Karamcharls	Member
7.	Two community representatives of whom one should be a woman	Member

2. Functions of the District Level Survey Committee:-

(1) To monitor and oversee the survey process at District level.
(2) To distribute the media material to towns.
(3) To arrange publicity through local newspapers etc, about the survey.
(4) To distribute translated survey material to towns/villages under its jurisdiction.
(5) To approve final list of manual scavengers for all towns/cities/villages in the district.
(6) Publication of final consolidated list of the Manual Scavengers in the district.

S11

Annexure-II

Composition and functions of the State Level Survey Committee for Survey of Manual Scavengers

1. Composition of the State Level Survey Committee:-

S.No.	Composition	Designation
(1)	(2)	(3)
1.	Additional Chief Secretary or Principal secretary, nominated by the State Government.	Chairman
2.	Principal Secretary/Secretary dealing with Scheduled Castes, if the Committee is chaired by Additional Chief Secretary. If Principal Secretary, Scheduled Castes Welfare himself is the Chairman, then the Director, Scheduled Caste Welfare.	Member Secretary
3.	Director, Economics and Statistics.	Member
4.	Secretary, Urban Development Department/Local Self Government Department.	Member
5.	Regional Director, Census Operations.	Member
6.	One representative of Railways.	Member
7.	Two representatives of Non-Government Organisations Working for Welfare of Manual Scavengers and Safai Karamcharis.	Member
8.	Two community representatives of whom one should be a woman.	Member

2. Functions of the State Level Survey Committee:-

(1) To plan, coordinate and monitor the work of survey of Manual Scavengers.
(2) Preparation of media material and its translation into local language.
(3) To distribute translated survey material to towns/villages under its jurisdiction.
(4) To distribute media material to districts.
(5) To arrange publicity through local newspapers etc. about the survey.
(6) To compile and approve final list of manual scavengers for all towns/cities/villages in the State.
(7) Publication of the consolidated final list of Manual Scavengers in the State.

SURVEY REPORT **Annexure-III**

Details of Insanitary Latrine

1. Details of Individual Insanitary Latrine (III.):

Sl. No	Name of the owner of Insanitary Latrine	Location of the		Monthly Salary/wages of the Manual	
		dry latrine	latrine from which excreta is being flushed into open drain	In cash	In food grains etc.

Total Number of the Individual Insanitary Latrines being cleaned by manual scavenger

(Note: Please give detailed description of the individual Insanitary Latrine Cleaned by the Manual Scavengers. In case you need to write extra information kindly photocopy this page and attach with the survey form) .

2. Details of Community Insanitary Latrine (CIL):

Sl. No	Name of the owner (Organisation/ Agency) of Community Insanitary Latrine	Location of the		Monthly Salary/wages of the Manual Scavenger	
		dry latrine	latrine from which excreta is being flushed into open drain	In cash	In food grains etc.

S13

3. Detail of Open Drains(OD)/Railway Tracks/other spaces :

S.No	Location of Open Drains/Railway tracks/other spaces in which excreta from the insanitary latrines is being flushed	Salary/wages of the manual scavengers	
		In cash (Rs.)	In kind (Rs.)

(Note: If the number of involved manual scavengers in OD is more than one then please fill up a separate form for each manual scavenger)

Annexure – IV

Self Declaration Form

Identification of Manual Scavenger [ ] (Office Use)

Photo of Manual Scavenger

- Name of The State
- District
- Municipality .... Town............ Ward..................
- Panchayat .... Village ....

Family Photo of Manual Scavenge

(Picture post card size photograph 6"x4")

1. Name of the Manual Scavenger : ....
2. Name of father/mother/spouse ....
3. Age ....
4. Sex : Male [ ] Female [ ]
5. Education Status : (Put a√Mark in the appropriate box)

(i) (a) Literate [ ] (b) Not literate [ ]

(ii) If literate level of education

(a) Studied Class 1-5 : [ ] Class 6-10: [ ] Class 11-12: [ ]

Class above 12: ☐

6. Occupation

(i) Carrying/disposing/cleaning of human excreta manually from insanitary latrine ☐

(ii) Cleaning untreated human excreta manually from (a) open rain ☐

(b) Railway track ☐ (c) Pit latrine ☐

7. Status of Employment :-

(i) Employed in :

(a) Private :-

(i) Individual House holds ☐

(ii) Community/Group of Households ☐

(iii) Contractor ☐

(iv) Institution like hospital, office etc. ☐

(v) Others (specify)

(b) Central Government ☐ (c) State Government ☐

(d) Municipal Corporation ☐

(ii) Employed on :

(a) Permanent basis ☐ (b) Temporary basis ☐

(b) Contract basis ☐ (d) Jajmani ☐

8. How long you have been in this occupation: .....

9. Social Background: ☐

(a) Whether SC/ST/OBCs/Others

(b) Caste ☐ (c) Sub caste ☐

(d) Religion ☐

10. (a) Have you received any benefit from the government rehabilitation schemes?

(Put a √ mark in the appropriate box)

Yes	No

(b) If yes, name of the scheme (put a mark √ mark in the appropriate box) :

S. No.	Name of the schemes	Rupees
(1)	(2)	(3)
1.	National Scheme for liberation and rehabilitation of scavengers (NSLRS)	
2.	Self Employment Scheme for rehabilitation for manual scavengers (SRMS)	
3.	Any other (Please specify the name of scheme(s))	

(c) If yes, whether project funded through above scheme is running :

Yes	No	if yes, monthly income (Rs.)

11. (a) Are you engage in any occupation other than scavenging ?

Yes ☐ No ☐

(c) If yes, specify

517

12. Any other skills you possess :

i) Construction ☐ ii) Carpentry ☐

iii) Driving ☐ iv) Cooking ☐

v) Tailoring ☐ vi) Any other (specify) .....

13. Alternative Occupation proposed (please specify) : .....

Name an address of manual Scavenger :.....

.....

.....Pin code.....

Contact Telephone /Mobile No. .....

Signature/Thumb impression of manual Scavenger

Name and date .....

Signature of Data Entry Operator, ...

Name and date (with code No.) : .....

Signature of Enumerator .....

Name and date : (with code no) :.....

Signature of Supervisor .....

Name and date (with code No.) : .....

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2014

क्रमांक-एफ 7-06/2014/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए पिपरिया निवेश क्षेत्र, जिला कबीरधाम का गठन करती है जिसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है :—

अनुसूची

पिपरिया निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम कोठार, चरडोंगरी, झिरना, खाम्ही एवं गंगापुर ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गंगापुर एवं मानिकचौरी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम मानिकचौरी, धरमपुरा, पिपरिया एवं परसवारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम परसवारा एवं कोठार ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2010-11.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-कोतासुरा, प.ह.नं. 37, तहसील-पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 2.028 हे. केलो परियोजना अंतर्गत ठाकुरपाली माईनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4(1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना को प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 22-04-2011 तथा दिनांक 04-11-2011 को कराया गया है.

चूंकि जब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से निम्नांकित कुल खं. नं. 02, कुल रकबा 0.008 हे. भूमि नहर में प्रभावित न होने के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-कोतासुरा

खसरा नं.	रकबा
656/1	0.004
674/3	0.004
कुल खसरा 2	कुल रकबा 0.008

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 5 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-रूचिदा, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.502 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12/3	0.073
17	0.025
286/2	0.016
39/7	0.021
41/3	0.069
43/1घ	0.067
90	0.004
89/1	0.012
92	0.037
291	0.109
326/2	0.073
306/1	0.033
292	0.108
303	0.037
286/1	0.037
276/1167	0.101
251/4	0.033
326/3	0.045
13/2	0.073
39/1	0.109
360/2	0.025
39/8	0.045

(1)	(2)
41/2	0.053
83/1	0.097
91	0.017
307	0.053
93/2	0.073
95	0.091
317	0.021
306/3	0.009
305/2	0.049
293/1	0.087
286/2	0.037
360/1	0.033
38/1	0.009
329	0.016
16	0.121
254/1ड	0.069
360/3	0.004
39/9	0.009
42/1क	0.004
83/4	0.169
84/4	0.024
89/2	0.028
93/1	0.008
316/1	0.169
322/1	0.033
304/3	0.025
304/1	0.033
285/1	0.065
277	0.069
251/3	0.101
38/2	0.032
15/4	0.045
275/1	0.087
39/3	0.008
41/1	0.098
42/2	0.085
84/3	0.081
84/5	0.024
89/3	0.008
94	0.021
321	0.081
326/1	0.016
305/1	0.008
304/2	0.029
288/3	0.025
276	0.061
263/3	0.008

(1)	(2)
38/3	0.057
योग 70	3.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–केलो परियोजना की नहर अंतर्गत रूचिदा माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 5 मार्च 2014

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 58/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–

(क) जिला–रायगढ़

(ख) तहसील–रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम–बासनपाली, प.ह.नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल–6.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.052
3/17	0.012
4/1	0.148
4/5	0.035
6/1	0.030
159/6	0.121
7/3	0.235
14/3	0.069
16/5	0.033
74/2	0.041
76	0.029
84/1	0.049
85/1	0.045
86/3	0.028
92	0.032
93/3	0.053
97/1	0.024
101/1	0.049
102/1	0.041
105/1	0.018
106	0.090
189/4	0.033
192/5	0.057
187/4	0.061
161/9	0.081
196/7	0.061
221/14	0.036
94/6	0.052
3/14	0.065
3/21	0.121
4/2	0.077
4/7	0.061
6/3	0.067
7/1	0.025
7/4	0.061
102/4	0.033
16/4	0.033
196/5	0.045
78/1	0.033
84/3	0.047
85/2	0.035
87/4	0.061
93/2	0.061
194/4	0.036
97/2	0.021
192/1	0.073
102/2	0.049
105/2	0.025
159/8	0.177
189/2	0.027
187/9	0.147
193/2	0.016
193/5	0.012
196/8	0.033
187/11	0.004
86/4	0.009
3/15	0.036
3/23	0.025
4/3	0.137
5/1	0.154
159/2	0.109